निर्णय बइजलास द्वारा श्री शक्ति सिंह भाटी (**R.A.S.**) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्र0सं0 63/2017 रे.वाद निर्णय दिनांक :– 15.01.2020

अनवान

1. श्रीमती हगामी पुत्री वरदा जी जाति बलाई उम्र 55 साल निवासी विजयपुरा तहसील देवगढ़ हाल निवासी बरजाल तहसील भीम जिला राजसमन्द।
2. श्रीमती सोनी पुत्री वरदा जी जाति बलाई उम्र 45 साल निवासी विजयपुरा तहसील देवगढ़ हाल निवासी टाडगढ़ तहसील भीम जिला राजसमन्द।

——वादी

बनाम

1. श्री हिरा लाल पिता गोमा जी जाति बलाई उम्र बालिग निवासी विजयपुरा तहसील देवगढ
2. श्रीमती मीरा पुत्री गोमा जी जाति बलाई उम्र बालिग निवासी विजयपुरा तहसील देवगढ
3. श्रीमती भूरी पत्नी गोमा जी जाति बलाई उम्र बालिग निवासी विजयपुरा तहसील देवगढ
4. श्रीमती तेजी पत्नी वरदा जी जाति बलाई उम्र बालिग निवासी विजयपुरा तहसील देवगढ़
5. श्रीमान तहसीलदार साहब देवगढ प्रतिनिधि राज्य सरकार।

——प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत खातेदारी घोषणा राजस्व रेकार्ड में अंकन एवं निषेधाज्ञा

उपस्थित वकील :– श्री राजेश समदानी वकील वादी।
श्री इन्द्रमल कंसारा वकील प्रतिवादी।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला–राजसमन्द

वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि राजस्व ग्राम विजयपुरा पटवार हल्का कामली तहसील देवगढ़ में आ0नं0 150 रकबा 0.08, आ0नं0 175 रकबा 1.15, आ0नं0 176 रकबा 1.09, आ0नं0 177 रकबा 0.02, आ0नं0 178 रकबा 0.19, आ0नं0 179 रकबा 0.02, आ0नं0 180 रकबा 0.19, आ0नं0 181 रकबा 0.11 कुल किता 8 रकबा 6.05 बीघा स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजियात प्रतिवादी सं0 01 से 03 के नाम खातेदारी में दर्ज है जो गलत हो रखी है। उक्त भूमि

वादीगण की पुस्तैनी एवं मौरूसी जायदाद है। जो वरदा जी पत्नी व वादीगण का 1/2 हिस्सा जन्म से है। जमाबन्दी संम्वत् 2030 से 2033 में 1/2 हिस्सा वरदा पिता पीथा के नाम एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादी स0 01 से 03 के पिता गोमा के नाम दर्ज था और हम प्रतिवादीगण के पिता वरदा जी की मृत्यु ग्राम पंचायत द्वारा विरासत से नामान्तकरण सं0 116 खोला जिसमें भूमि प्रतिवादी सं0 04 जो हम वादीगण की माता है के नाम खोला गया परन्तु राजस्व रेकार्ड में अकेले गोमा के नाम अंकित हो गयी। यह कृषि आरातियात वादीगण के पिता एवं प्रतिवादी सं0 01 से 03 के पिता पीथा जी की मौरूसी बाप दादाओं की थी जिनकी मृत्यु के पश्चात विरासत से दोनो को 1/2, 1/2 हिस्सा भूमि प्राप्त हुई लेकिन वरदा जी की मृत्यु के बाद विरासत से जो नामान्तकरण खोला गया उसमें भूमिया अकेले प्रतिवादी सं0 04 के नाम अंकित कर दी गयी। जबकि पटवारी हल्का को उक्त भूमि का नामान्तकरण वरदा जी की जाइन्दा संतान हम वादीगण के नाम खोलना था। ग्राम पंचायत ने इस संबध में भारी विधिक भूल कर वादीगण के हितो पर कुठाराघात किया है। पीथा जी की मृत्यु के पश्चात् जो नामान्तकरण खोला गया उसमें विरासत के आधार पर उसके उत्तराधिकारी वरदा एवं गोमा के नाम नामान्तकरण खोला जाना था परन्तु ग्राम पंचायत ने हम वादीगण और प्रतिवादी सं0 04 जो हमारी माता है का नाम विरासत से दर्ज नही किया और वरदा जी को फौत होना बताकर और भूमि छोटे भाई श्री गोमा का कब्जा होना बताया और वरदा के कोई लडका नही होना बताकर और उसमें लिखा कि वरदा की धर्मपत्नी जाहिर आया है। इस आधार पर हम वादीगण को हमारी पुस्तैनी भूमि में जो हमारे हक अधिकार निहित है उन पर कुठाराघात किया गया और वरदा जी के वारिसान हम वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 04 के जिवित रहते भूमि प्रतिवादी सं0 01 से 03 के पिता गोमा ने गलत जानकारी देकर समस्त भूमि अपने नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करा दी। जमाबन्दी संम्वत् 2034 से 2037 में हम वादीगण के पिता का 1/2 हिस्सा दर्शाया गया है। इस दर्शाये गये हिस्से में 1/2 हिस्सा हम वादीगण एवं प्रतिवादी सं 04 संयुक्त रूप से हिस्सेदार है। जो नामान्तकरण 116 विरासत से खोला गया है वह वादीगण के नाम पर नही खोला जाने से प्रारम्भतः शुन्य है। उक्त वर्णित आराजियात में 1/2 हिस्से के खातेदार वादीगण एवं प्रतिवादी स0 04 को घोषित किया जाना आवश्यक है। उक्त वर्णित आराजियात पर वादीगण व प्रतिवादी सं0 01 से 03 के नाम दर्ज हो रखा अंकन विलोपित कराया जावें एवं उक्त आराजियात में वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 04 का 1/2 हिस्सा रेकार्ड में दर्ज कराया जावें। अतः वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जावें तथा उक्त आराजियात में वादीगण एवं प्रतिबादी सं0 04 का 1/2 हिस्से का भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में वादीगण का नाम खातेदार के रूप में

2108
सहायक कलेक्टर

अंकित कराया जावें तथा वरदा जी के हिस्से की सीमा तक प्रतिवादी स0 01 से 03 के नाम पर हो रखे अधिक हिस्से का अंकन विलोपित कराया जावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को मय नकल वाद पत्र के सम्मन जारी किये गये। प्रत्युत्तर में प्रतिवादी सं0 01, 02 व 03 की ओर से वकील श्री इन्द्रमल कंसारा ने वकालातनामा पेश किया। वकील प्रतिवादी ने कोई जवाब पेश नही किया। जिस पर वकील प्रतिवादी का जवाब बंद किया गया। प्रतिवादी सं0 05 की ओर से पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार देवगढ ने जवाब पेश किया जवाब शामिल फाईल किया गया। प्रतिवादी सं0 04 को सम्मन तामिल हो जाने पर भी अनुपस्थित रहा जिस पर प्रतिवादी सं0 04 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी। वकील वादी ने वादी हगामी देवी, सोनी देवी एवं गवाह पूरण मल एवं गजेन्द्र सिंह को के शपथ पत्र पेश किये। शपथ पत्र शामिल फाईल किये गये। वकील वादी ने प्रकरण में बहस की। विद्ववान वकील वादी ने बहस में तर्क दिया कि ग्राम विजयपुरा पटवार हल्का कामली में आ0नं0 150, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181 कुल किता 8 रकबा 6.05 बीघा भूमि स्थित है। उक्त भूमि प्रतिवादी सं0 01 से 03 के नाम दर्ज रेकार्ड है। जो गलत है क्यो कि भूमि वादीगण की पुस्तेनी मौरूसी जायदाद है। उक्त आराजियात जमाबंदी सं0 2030 से 2033 में 1/2 हिस्सा वरदा पिता पीथा के नाम दर्ज था और 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं0 01 से 03 के पिता गोमा के नाम दर्ज था हम वादीगण के पिता वरदा की मृत्यु के बाद ग्राम पचायत द्वारा विरासत से नामान्तकरण सं0 116 खोला जिसमें भूमि प्रतिवादी सं0 04 जो हम वादीगण की माता है के नाम खोला परन्तु राजस्व रेकार्ड में भूमि अकेले गोमा के नाम दर्ज हो गयी। यह आराजियात वादीगण के पिता एवं प्रतिवादी सं0 01 से 03 के पिता पीथा जी की मौरूसी हो बाप–दादाओं की थी जिनकी मृत्यु के बाद विरासत से दोनो का 1/2, 1/2 हिस्सा भूमि प्राप्त हुई लेकिन वरदा की मृत्यु के बाद विरासत से जो नामान्तकरण खोला गया उसे भूमिया अकेले प्रतिवादी सं0 04 के नाम दर्ज कर दी गयी। जबकि हल्का पटवारी को उक्त भूमि का नामान्तकरण वरदा की जाइन्दा संतान वादीगण के नाम खोला जाना था। इस प्रकार ग्राम पंचायत ने नामान्तकरण दर्ज करने में भारी विधिक भूल की है। प्रतिवादी सं0 04 वादीगण की माता है जिसका नाम विरासत से दर्ज नही किया गया है। अतः वादीगण वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम विजयपुरा की आ0नं0 150, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181 कुल किता 8 रकबा 6.05 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 04 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। तथा वरदा जी के हिस्से की सीमा तक प्रतिवादी सं0 01 से 03 के नाम पर हो रखें अधिक हिस्से का अंकन विलोपित कराया जावें।

सहायक कलेक्टर
देवगढ, जिला–राजसमन्द

हमनें वादीगण के वाद पत्र, शपथ पत्र वादिया, शपथ पत्र गवाहान, जवाब प्रतिवादी सं0 05, नकल जमाबन्दी एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजो का अवलोकन किया। तथा विद्वान वकील वादी की बहस पर मनन किया। उपर्युक्त विवेचनानुसार स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण की मौरुसी है तथा उनके बाप–दादाओं की है जिस पर वादीगण का भी हक अधिकार निहित है। ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण पारित करते समय प्रतिवादी सं0 01 से 04 के नाम ही पारित किया है। जबकि वादीगण के नाम भी दर्ज किया जाना चाहिये था।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है कि ग्राम विजयपुरा पटवार हल्का कामली तहसील देवगढ में स्थित कृषि भूमि आ0नं0 150, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181 कुल किता 8 रकबा 6.05 बीघा भूमि के राजस्व रेकार्ड में वादीगण के साथ–साथ प्रतिवादी सं0 01 से 04 के नाम भी दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ को लिखा जावें। तद्नुसार डिक्री जारी कि जावें।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलक्टर
देवगढ जिला-राजसमन्द

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
देवगढ जिला–राजसमन्द

राजस्थान सरकार

डिग्री व मुकद्दमे इब्तदाई

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला–राजसमन्द
निर्णय श्री शक्ति सिंह भाटी (**R.A.S.**) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़
प्र०स० 63/2017 रे.वाद

निर्णय दिनांक :– 15.01.2020

अनवान

1. श्रीमती हणामी पुत्री वरदा जी जाति बलाई उम्र 55 साल निवासी विजयपुरा तहसील देवगढ़ हाल निवासी बरजाल तहसील भीम जिला राजसमन्द।
2. श्रीमती सोनी पुत्री वरदा जी जाति बलाई उम्र 45 साल निवासी विजयपुरा तहसील देवगढ़ हाल निवासी टाडगढ़ तहसील भीम जिला राजसमन्द।

——वादी

बनाम

1. श्री हिरा लाल पिता गोमा जी जाति बलाई उम्र बालिग निवासी विजयपुरा तहसील देवगढ़
2. श्रीमती मीरा पुत्री गोमा जी जाति बलाई उम्र बालिग निवासी विजयपुरा तहसील देवगढ़
3. श्रीमती भूरी पत्नी गोमा जी जाति बलाई उम्र बालिग निवासी विजयपुरा तहसील देवगढ़
4. श्रीमती तेजी पत्नी वरदा जी जाति बलाई उम्र बालिग निवासी विजयपुरा तहसील देवगढ़
5. श्रीमान तहसीलदार साहब देवगढ़ प्रतिनिधि राज्य सरकार।

——प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत खातेदारी घोषणा राजस्व रेकार्ड में अंकन एवं निषेधाज्ञा

उपस्थित वकील :– श्री राजेश समदानी वकील वादी।
श्री इन्द्रमल कसारा वकील प्रतिवादी।

यह मुकद्दमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू..सिनजानिब मुदायलह पेश हो वादी का वाद पत्र इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि तथा ग्राम विजयपुरा पटवार हल्का कामली तहसील देवगढ़ में स्थित कृषि भूमि आ०नं० 150, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181 कुल किता 8 रकबा 6.05 बीघा भूमि के राजस्व रेकार्ड में वादीगण के साथ–साथ प्रतिवादी सं० 01 से 04 के नाम भी दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। नीज........................मुबलिग..बाबत... मय सूद व शहर..खर्चा इस मुकद्दमे के वसूलयाबी तक..फीसदी सालाना आज की तारि ख से तारीख ....को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारिख 15 मास 01 सन 2020 की जारी की गई।

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला राजसमन्द

मुद्दई	रूपया	पै0	मुद्दायला	रूपया	पै0
स्टाम्प अरजी दावा	3	00	स्टाम्प वकालातनामा	0	00
स्टाम्प वकालातनामा	2	00	स्टाम्प अरजी	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	महनताना वकील	0	00
महनताना वकील)पर	0	00	)पर	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीश्नर	4	00	फीस कमीश्नर	0	00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफर्रिक	24	00	मुतफर्रिक	0	
मिजान	33	00	मिजान	00	00

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिऐं।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला–राजसमन्द